पंजीकरण सं. आर.एन. 40596/83 डाक पंजी. संख्या-डी.एल. (एन.) 05/0084/09-11

इस अंक का मूल्य 2 रुपये

॥ ओ३म् ॥

युवा उद्घोष

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् (पंजीकृत) का पाक्षिक शंखनाद

कार्यालय : आर्य समाज कबीर बस्ती, दिल्ली-110007, चलभाष : 9810117464, 9868051444

व्यायाम शिक्षक की आवश्यकता

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् दिल्ली को एक योग्य व्यायाम शिक्षक की आवश्यकता है जो कि वैदिक सिद्धान्तों व महर्षि दयानन्द का अनुयायी हो तथा बच्चों और किशोरों को प्रशिक्षित कर सके।

सम्पर्क करें
डॉ. अनिल आर्य
राष्ट्रीय अध्यक्ष
मो. 9810117464

वर्ष-28 अंक-09 कार्तिक-2068 दयानन्दाब्द 188 1 अक्तुबर से 15 अक्तुबर 2011 (प्रथम अंक) कुल पृष्ठ 4 वार्षिक शुल्क 48 रु.

E-mail : aryayouth@gmail.com aryayouthgroup@yahoogroups.com Website : www.aryayuvakparishad.com

प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विरोधी विधेयक राष्ट्रघाती है

आतंकवादी अफजल को क्षमा की मांग करने वाले भी देशद्रोही

नरेन्द्र मोदी के "टोपी" न पहनने पर आलोचना करने वाले क्या अपने चहेतों को जनेऊ, केसरिया पगड़ी पहना सकेंगे

हिन्दू हितों की रक्षा के लिए हिन्दुओं को अपना संख्या बल बढ़ाना ही होगा –आर्य नेता अनिल आर्य का आह्वान

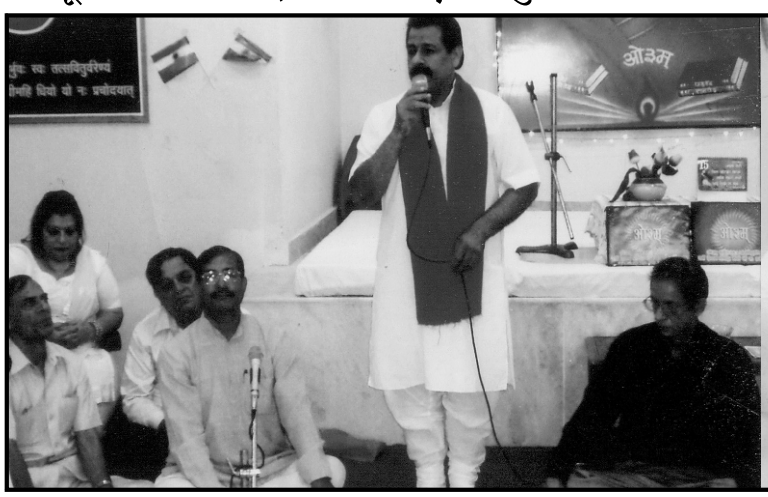

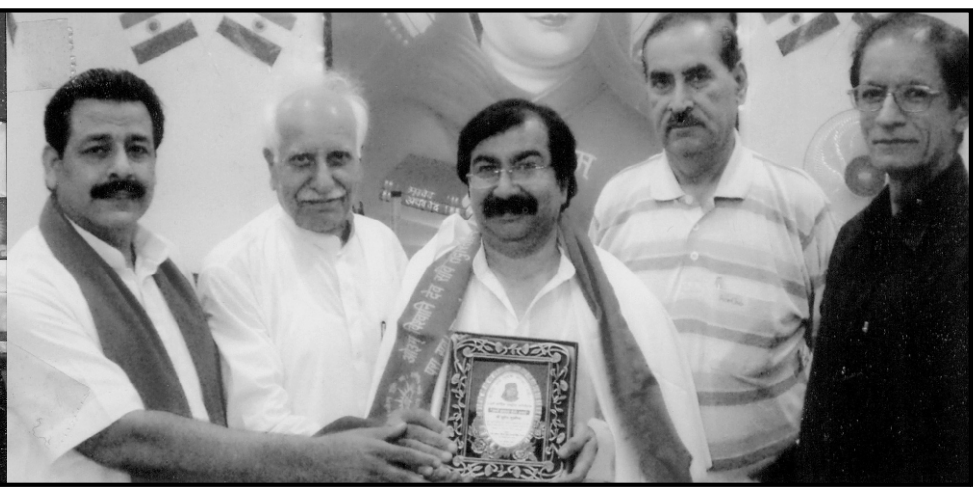

रविवार, 18 सितम्बर 2011, आर्यसमाज, दिलशाद गार्डन, दिल्ली में विशाल कार्यकर्त्ता सम्मेलन को सम्बोधित करते डॉ. अनिल आर्य, साथ में महेन्द्रभाई, डॉ. वीरपाल विद्यालंकार, सरोज भाटिया, प्रवीन आर्य व श्री रविश भगत द्वितीय चित्र में श्री सुरेश मुखिजा को सम्मानित करते डॉ. अनिल आर्य, रविन्द्र मेहता, यशोवीर आर्य व श्री रविश भगत।

नई दिल्ली! केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल आर्य ने कहा कि यदि हिन्दूओं को भारत में स्वाभिमान के साथ जीना है और अपने हितों की रक्षा करनी है तो उन्हें अपना संख्या बल बढ़ाना ही होगा। हिन्दुओं को कुचलने के लिए प्रस्तावित सामूहिक साम्प्रदायिकता हिंसा विरोधी अधिनियम देश को तोड़ने व बांटने की घृणित साजिश है सभी देश भक्तों से इसका पुरजोर विरोध करने की उन्होंने अपील की।

डॉ. आर्य ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुला के वक्तव्य को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया जिसमें उन्होंने अफजल को फांसी देने पर देश में दंगे भड़कने की चेतावनी दी है। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् ने प्रधानमंत्री से मांग की आतंकवादी अफजल को अविलम्ब फांसी दी जाये। देशद्रोही को कभी माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की हिमायत करने वाले भी देशद्रोही है उन्हें भी सजा मिलती चाहिए।

डॉ. अनिल आर्य ने अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा उपवास के दौरान टोपी न पहनने पर बधाई दी उन्होंने कहा कि गत् 65 वर्षो से तुष्टिकरण की नीति का परिणाम सबने देख लिया है। क्या टोपी पहनने की हिमायत करने वाले अपने मित्रों से भारत माता की जय, वन्दे मातरम् कहलवाने की हिम्मत जुटा पायेंगे।

क्या वह लोग केसरिया पगड़ी या जनेऊ, तिलक लगाना पसन्द करेंगे तो फिर नरेन्द्र मोदी पर ही यह प्रश्न क्यों?

डॉ. आर्य ने रविवार 18 सितम्बर व 25 सितम्बर को लगभग 10 सभाओं में सम्बोधित कर आर्य जनता को आह्वान किया।

251 कुण्डीय यज्ञ व आर्य महासम्मेलन 2012

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् नई दिल्ली के तत्वावधान में दिनांक 27, 28, 29 जनवरी 2012 को 251 कुण्डीय विराट यज्ञ व अखिल भारतीय आर्य महासम्मेलन रामलीला मैदान, जी.टी.बी. एनक्लेव, दिलशाद गार्डन, पूर्वी दिल्ली में होगा।

सभी आर्य समाजें, आर्य जन उपरोक्त तिथियां नोट कर लें।

भवदीय

डॉ. अनिल आर्य	महेन्द्रभाई	रामकुमार सिंह	यशोवीर आर्य
अध्यक्ष	महामन्त्री	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष	राष्ट्रीय उपाध्यक्ष

आर्य समाज प्रशान्त विहार, दिल्ली

आर्यसमाज, मुलतान नगर, दिल्ली

रविवार, 18 सितम्बर 2011 आर्य समाज प्रशान्त विहार में कर्मठ कार्यकर्त्ता श्रीमती वीना कोछड़ को सम्मानित करते डॉ. अनिल आर्य व प्रधान कांतिप्रकाश आर्य, आचार्य भूदेव शास्त्री व सुभाष कोछड़। रविवार, 25 सितम्बर 2011 को आर्य समाज मुलतान नगर के प्रधान श्री महेन्द्र बूटी को सम्मानित करते डॉ. अनिल आर्य व साथ माता शकुन्तला सेठ, मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार व कोषाध्यक्ष श्री महानी जी।

जघन्य अपराधियों के लिए इतनी हाय तौबा क्यों?

-अवधेश कुमार

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के षडयंत्र में संलिप्त तीन दोषियों को फांसी दिए जाने को लेकर जो राजनीतिक बावेला मचा है, उसे क्या नाम दिया जाए इसके लिए शब्द ढूंढना मुश्किल है। राष्ट्रपति द्वारा तीनों दोषियों मुरुगन, संथन, पेरारिवलन की दया याचिकायें रद्द होने के बाद से ही तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन आरंभ हो गया। कहीं सड़क यातायात जाम तो कहीं रेल यातायात जाम तो कहीं कुछ। एक स्थान पर तो एक महिला ने आत्मदाह कर लिया। इसे तमिल नस्ल विरोधी कदम के रुप में भी दुष्प्रचारित किया जाने लगा है। द्रमुक प्रमुख करुणानिधि ने सोनिया गांधी से हस्तक्षेप की मांग कर दी तो राजीव गांधी के हत्यारों एवं तमिल टाइगर्स के खिलाफ लंबे समय से कड़ा रुख अपनाने वाली मुख्यमंत्री जयललिता की सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर फांसी को आजीवन कारावास में बदलने की मांग कर दिया है। यानी कुल मिलाकर इस समय की स्थिति में तमिलनाडु के ज्यादातर दल इन जघन्य अपराधियों का जीवन बचाने के पक्ष में खड़े हो चुके हैं। मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा इनकी फांसी पर स्थगनादेश से इन शक्तियों का आत्मबल भी बढ़ा है। जो भाजपा अपराधियों के विरुद्ध कठोर रुख अपनाती है और फांसी को टालने का विरोध करती है उसके राज्यसभा सदस्य राम जेठमलानी मद्रास उच्च न्यायालय में इन तीनों अपराधियों का मुकदमा लड़ रहे हैं। चूंकि उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार से आठ सप्ताह के अंदर उत्तर मांगा है, इसलिए गेंद फिर घूमकर केन्द्र के पाले में आ गया है। लेकिन इस दृश्य को देखकर किसी भी विवेकशील, संवेदनशील व्यक्ति के अंदर से एक ही आवाज निकल सकती है-वाह रे देश!

वास्तव में दुनिया में शायद ही कोई अभागा देश होगा जहां जघन्य अपराधियों को न्यायालय द्वारा दी गई सजा को अमल में लाने के विरुद्ध राजनीतिक पार्टियां ऐसा रवैया अख्तियार करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा के रवैये के बाद तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा ट्विटर पर की गई यह टिप्पणी भी उचित ही लगती है कि यदि उनकी विधानसभा में अफजल गुरु के पक्ष में ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया गया होता तो क्या ऐसी ही प्रतिक्रिया होती! बात ठीक है। तमिलनाडु विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने के बाद देश में कहीं भी आक्रामक प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली। राजीव गांधी के हत्यारे आत्मघाती थे और स्वयं को विस्फोटक से उड़ाकर उनकी हत्या की, जो हैं वे उस षडयंत्र में अंतर्लिप्त थे। प्रत्यक्ष हत्यारे से छोटा अपराध इनका नहीं है, किंतु संसद हमले के हमलावर भी आत्मघाती थे, वे भी मुठभेड़ में या अपने विस्फोटकों से नष्ट हो गए। अफजल भी तो एक षडयंत्रकारी ही है। तो दोनों के साथ व्यवहार में भेद क्यों? अगर तमिललनाडु के लोग कहते हैं कि तीनों की फांसी से यहां कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी तो कश्मीर से भी अफजल की फांसी के संदर्भ में यही आवाज आ रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि भाजपा के सांसद राम जेठमलानी ने अभी तक अफजल को बचाने की याचिका क्यों नहीं दायर की?

मद्रास उच्च न्यायालय का व्यवहार तो एक हद तक समझ में आने वाला है। उच्चतम न्यायालय ने मृत्युदंड पाए अपराधी को फांसी पर न चढ़ाए जाने की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केन्द्र एवं राज्य सरकारों के खिलाफ 20 सितंबर 2009 को तल्ख टिप्पणी में कहा, 'हम इस बात को जोर देकर कहना चाहते हैं कि मनुष्य संपत्ति या दास नहीं है और कुछ विस्तृत राजनीतिक एवं सरकारी नीतियों को पूरा करने के लिए उनका कठपुतली की तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया कि अगर मृत्युदंड पाए व्यक्ति की दया याचिका का शीघ्र निपटारा नहीं किया जाता तो उसके एवं उसके रिश्तेदारों को यह अधिकार मिल जाता है कि वे मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिणत करने की मांग करे।' कायदे से राजीव के हत्यारों को 2000 में तथा अफजल को 2006 को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए था। इसमें दो राय नहीं कि न्यायालय द्वारा दी गई सजा पर तत्काल अमल होनी चाहिए। आखिर निचले न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक पूरी सुनवाई के दौरान अपराधों एवं सबूतों पर विस्तार से विचार हो चुका होता है। इसके अलावा कहीं इससे ज्यादा विस्तार से विचार नहीं हो सकता है। वैसे ये दोनों मामले इतने चर्चित रहे और इनकी इतनी गहरी छानबीन हुई कि इन अपराधियों के समर्थकों को भी इनके अपराधी होने में संदेह नहीं हो सकता है। इसलिए न्याय का तकाजा तो यही था कि इनको सजा मिली और फांसी हो जाती। राजीव गांधी के हत्यारों द्वारा सजा मिलने के बाद सन् 2000 में दायर दया याचिका दायर पर निर्णय लेने में 11 वर्ष लगना किस बात का प्रमाण है?

11 सालों तक याचिका लटके रहने का अर्थ है उसे हर पल मौत के साये में जीने को मजबूर करना। अफजल गुरु ने तो एक बार कहा ही कि मैं चाहता हूं कि लालकृष्ण आडवाणी देश के प्रधानमंत्री बन जाएं ताकि मुझे जल्दी फांसी मिल जाए। 11 वर्षों तक फांसी नहीं देने के बाद उसे आजीवन कारावास में परिणत करने का कदम यदि न्यायालय उठाता है तो यह अस्वाभाविक नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो इसके लिए केवल केन्द्र की सरकारें ही दोषी होंगी। 2000 से 2004 तक भाजपा नेतृत्व वाली राजग की सरकार थी तो 2004 से कांग्रेस नेतृत्व वाली संप्रग की सरकार है। इसलिए इस जुगुप्सा एवं खीझ पैदा करने वाली स्थिति के लिए दोनों को समान रुप से दोषी माना जाएगा। राजग सरकार में भी दया याचिकाओं की विलंबित परंपरा को बदलने और न्यायिक फैसले की यथासमय अमल के लिए कोई कदम नहीं उठा। संभव है द्रमुक एवं दूसरे तमिल दलों के समर्थन में सरकार चलाने की मजबूरी में इस मामले की अनदेखी की गई। यही बात कांग्रेस के साथ भी लागू होती है। क्या विडम्बना है! द्रमुक तमिलनाडु में पराजय, नेताओं के भ्रष्टाचार में फंसने के बाद कमजोर हुई और राष्ट्रपति के यहां दया याचिका खारिज हो गई। राजीव गांधी जैसे नेता के हत्यारों या संसद पर हमले के अपराधियों को भी जो पार्टियां राजनीति का मोहरा बना सकती है उससे देश की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है! राजनीति का इससे बड़ा पतन और कुछ नहीं हो सकता। राजनीति का यह अध:पतन समाज को भी अपने जैसा बना रहा है।

हम मानते हैं कि जिन्दगी देना यदि हमारे हाथ में नहीं तो जिन्दगी लेना भी नहीं होना चाहिए। यानी न्याय की आदर्श स्थिति यही होगी कि मृत्यदंड का अंत हो जाए। मृत्युदंड के नीतिगत विरोधियों के ऐसे रवैये को सुसंगत माना जा सकता हैं लेकिन जो पार्टियां या आम नागरिक राजीव के हत्यारों या संसद पर हमले के अपराधी के प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं उनमें मृत्युदंड के अंत के पक्षधर शायद ही कोई हों। ऐसा होता तो ये लोग अन्य फांसी के संदर्भ में भी ऐसा ही रुख अपनाते। तमिलनाडु एवं कश्मीर के व्यवहार में अपराधियों के प्रति आक्रामक समर्थन और घनघोर सहानुभूति प्रदर्शित हो रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की नृंशस हत्या एवं संसद पर हमले से बड़ा भारत विरोधी अपराध क्या हो सकता है। अगर ऐसे अपराधियों को किसी क्षेत्र, भाषा या संप्रदाय का प्रतीक मानकर भावनायें भड़क सकतीं हैं तो फिर इस देश में अपराध के विरुद्ध खौफ पैदा नहीं हो सकता है। किंतु यह न भूलिए कि राजीव गांधी की हत्या 1991 में हुई। त्वरित न्याय द्वारा ऐसे मामले का निपटारा वर्ष के अंदर हो जाना चाहिए था। उस समय तीनों अपराधियों को सजा मिल गई होती तो ऐसी स्थिति शायद ही पैदा होती। यही बात संसद हमले के अपराधी अफजल के साथ भी लागू होती है। राजीव हत्याकांड का फैसला होने में नौ वर्ष का समय और दया याचिका के निपटारे में 11 वर्ष! इसका क्या उत्तर हो सकता है। खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकवादी देविन्दर पाल सिंह भुल्लर की दया याचिका आठ वर्ष तक लटकी रही। जब उसने इसके विरुद्ध न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय ने संज्ञान लिया तब तेजी से कागजी कार्रवाई कर पिछले 8 मई 2011 को राष्ट्रपति ने उसकी याचिका खारिज की। जघन्य अपराधियों को न्यायपालिका द्वारा दी गई सजा अमल में लाने में ऐसी कोताही भारत को छोड़कर दुनिया के किसी देश की सरकार नहीं कर सकती है। आखिर न्यायालय के आदेश का अमल में न लाना संबंधित अपराधियों से छोटा अपराध नहीं है।

ई.:30, गणेश नगर, पांडव नगर कॉम्प्लेक्स, दिल्ली:110092, दूर.:22483408, 09811027208

'आर्य वीर तन्द्रा त्यागो'

आर्य वीर तन्द्रा त्यागो फिर मां ने तुम्हें जगाया है,
आज देश के हर कोने से तुम्हें बुलावा आया है।
रामकृष्ण को इस भूमि पर सीता और द्रौपदी लुटें,
गांधी गौतम की मांटी में मानव के अरमान मिटें।
आज भरत की देवधरा पर भाई-भाई का खून पियें,
आज श्रवण को पुण्य भूमि पर प्यासे माता पिता जियें।
उठो सिसकती मानवता का तुम्हें बुलावा आया है।।
आर्य वीर तन्द्रा त्यागो.....
आज हिमालय की घाटी से व्यंग्य बोलता है कोई,
गंगा यमुना के अमृत में जहर घोलता है कोई।
आज विदेशी चोर रहे हैं अपने सागर का सीना,
यह मछुआ विषमयी हो गई मुश्किल है अब तो जीना।
फिर सुभाष का अमर क्रान्ति का तुम्हें बुलावा आया है।
आर्य वीर तन्द्रा त्यागो.....
जिनको हमने दूध पिलाया नाग बने फुंकार रहे,
आंचल को दो ओट वो दीपक आँचल ही को जला रहे।
जिन्हें सुरक्षा सोंपी हमने लूट रहे हैं घर अपना,
आज लुटेरे देख रहे हैं मालिक बनने का सपना।
उठो भगत सिंह के साहस का तुम्हें बुलावा आया है।।
आर्यवीर तन्द्रा त्यागो.....
आज देश में जय चन्दों ने फिर से शीस उठाये हैं,
आज विदेशी ने छल-बल के फिर से जाल बिछाये हैं।
शपथ तुम्हें है देश धर्म को शपथ तुम्हें अपनेपन की,
पैरों तले कुचल डालो नापाक कुचालें दुश्मन की।
आज शिवा के अमिट शौर्य का तुम्हें बुलावा आया है।।
आर्यवीर चन्द्रा त्यागो.....
दयानन्द ने नमन किया था मातृशक्ति कल्याणी को
आज चिता में जीवित जलती सुनो तो करुण कहानी को।
सत्रह बार पिया विष ऋषि ने देश धर्म की रक्षा में,
आज विदेशी बनें बन्धु मुट्ठीभर धन की भिक्षा में।
दयानन्द को दिव्य दया का तुम्हें बुलावा आया है।।
आर्यवीर तन्द्रा त्यागो.....

उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार मण्डल की बैठक सम्पन्न

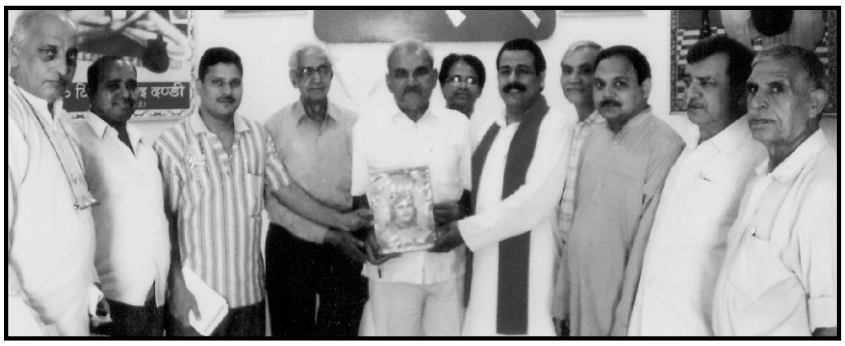

रविवार, 25 सितम्बर 2011, उत्तरी दिल्ली वेद प्रचार मण्डल (पंजीकृत) की बैठक आर्य समाज, अशोक विहार-11, दिल्ली में सम्पन्न हुई। मण्डल के प्रधान डॉ. ओमप्रकाश मान को सम्मानित करते डॉ. अनिल आर्य साथ में प्रधान सत्यपाल गांधी, वेदप्रकाश चौधरी, वागीश आर्य, वीरेश आर्य, महामंत्री-हीराप्रसाद शास्त्री, कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र आहूजा, संतोष शास्त्री, ओम सपरा आदि।

कर्मठ युवक सौरभ गुप्ता व विक्रम सम्मानित

परिषद् के कर्मठ कार्यकर्त्ता श्री सौरभ गुप्ता (गाजियाबाद) व श्री विक्रम कुमार (प्रेम नगर) को सम्मानित कर श्री वी. डी. शर्मा स्मृति छात्रवृत्ति देते श्रीमती राजकुमारी शर्मा, महेन्द्र भाई, डॉ. अनिल आर्य, सन्तोष शास्त्री व श्री सुरेश चन्द।

कर्मठ दम्पति श्रीमति सुषमा भगत व रविश भगत सम्मानित

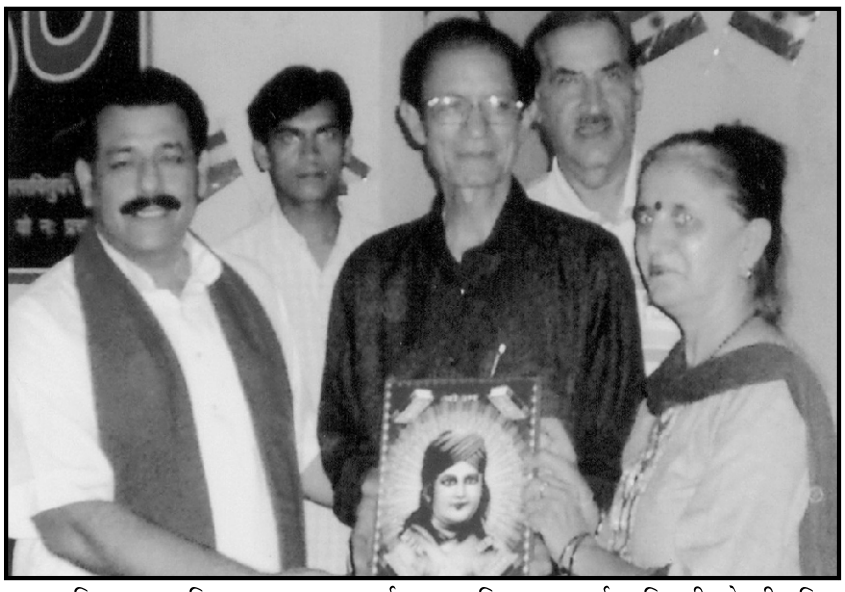

रविवार, 18 सितम्बर 2011, आर्य समाज दिलशाद गार्डन, दिल्ली के श्री रविश भगत व श्रीमती सुषमा भगत का अभिनन्दन करते डॉ. अनिल आर्य।

साम्प्रदायिकता हिंसा विरोधी विधेयक
हिन्दुओं के विरूद्ध खुला युद्ध

- किसी भी हिंसा के लिये मुस्लिमों और ईसाइयों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
- दो पक्षीय हिंसा होने पर हिन्दू को दस वर्ष का दण्ड दिया जायेगा। जबकि मुस्लिम या ईसाई द्वारा हिंसा करने पर छह माह का दण्ड दिया जायेगा। उन पर मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार चलेगा।
- इस विधेयक में हिन्दुओं को हिंसक और उपद्रवी माना गया है।
- कोई भी मुस्लिम या ईसाई इस विधेयक के पारित होने के पश्चात किसी भी हिन्दू पर लक्षित हिंसा का मुकदमा कर सकता है। यह मुकदमा गैर जमानती है।
- हिन्दुओं को इस विधेयक के द्वारा इतना उत्पीड़ित कर दिया जायेगा कि वे अपनी हिन्दू पहचान से ही बचने लगेंगे।
- भारत के ईसाईकरण के लिये इस विधेयक का प्रयोग किया जायेगा।
- मध्यकाल में जिस तरह जजिया या ईश निन्दा के कानून बना कर हिन्दुओं का धर्मान्तरण किया गया, यह भी उसी का एक रूप है।

आर्य समाज, अशोक विहार-2 दिल्ली का उत्सव सम्पन्न

रविवार, 18 सितम्बर 2011, आर्यसमाज, अशोक विहार, दिल्ली का वार्षिकोत्सव सौल्लास सम्पन्न हुआ, सभा को सम्बोधित करते डॉ. अनिल आर्य, साथ में श्री ओमप्रकाश अग्रवाल व प्रधान श्री सत्यपाल गांधी व श्री काशीराम शास्त्री।

आर्यसमाज, विशाखा एनक्लेव का उत्सव सम्पन्न

रविवार, 25 सितम्बर 2011, आर्य समाज विशाखा एनक्लेव, दिल्ली के उत्सव पर सम्बोधित करते डॉ. अनिल आर्य साथ में आचार्य चैतन्य मुनि जी, इस अवसर पर पं. रामनिवास आर्य के मधुर भजन हुए। संचालन मंत्री धर्मवीर आर्य ने किया व धन्यवाद ज्ञापन प्रधान श्री सत्यप्रकाश आर्य ने किया।

आर्य समाज, बी-ब्लॉक, जनकपुरी में हिन्दी दिवस सम्पन्न

आर्य समाज, बी-ब्लॉक जनकपुरी में हिन्दी दिवस के अवसर पर प्रवचन करते हुए वैदिक विद्वान् आचार्य विश्वबन्धु शास्त्री जी ने कहा कि आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानन्द सरस्वती हिन्दी के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने इस देश को आर्यावर्त तथा इस देश की भाषा को आर्य भाषा कहा। उनकी दृष्टि में हिन्दी ही आर्य भाषा थी।

आचार्य विश्वबन्धु जी के प्रति धन्यवाद करते हुए आर्य समाज के प्रधान डॉ. सुन्दरलाल कथूरिया जी ने कहा कि हिन्दी राष्ट्रीय गौरव एवं राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। कार्यक्रम का सन्चालन मन्त्री श्री जगदीश चन्द्र गुलाटी जी ने किया।

आगरा में आर्य महासम्मेलन

आर्य प्रतिनिधि उप सभा आगरा के तत्वावधान में दिनांक 29, 30, 31 अक्टूबर 2011 को किया जा रहा है। **-रमाकान्त सारस्वत,** संयोजक, मो. 09719003853

आर्य समाज सैक्टर-18 फरीदाबाद का चुनाव

आर्य समाज सैक्टर-18, फरीदाबाद के चुनाव में **प्रधान**-लाला मेघराज आर्य, **मंत्री**-श्री अशोक शास्त्री, **कोषाध्यक्ष**-श्री राम केवल आर्य, **प्रचार मंत्री**-श्री नरेश अग्रवाल, **सह मंत्री**-श्री आर. डी. यादव, **वरिष्ठ उपप्रधान**-श्रीमती आशा देवी व **संगठन मंत्री**-श्री जगदीश शर्मा चुने गये। **-मकेन्द्र कुमार,** मो 9310501139

आर्य समाज पलवल का वार्षिकोत्सव

आर्य समाज जवाहर नगर पलवल का 56वां वार्षिकोत्सव, सामवेद शत्कम एवं 21 कुण्डीय गायत्री यज्ञ दिनांक 3, 4, 5, 6 नवम्बर 2011 को मनाया जा रहा है। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनिल आर्य रविवार 6 नवम्बर को पहुंचेगे। **-जयप्रकाश आर्य-प्रधान-जगदीश झाम्ब-महामंत्री**

महर्षि दयानन्द बलिदान दिवस पर संगीत संध्या

केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् नई दिल्ली के तत्वावधान में रविवार दिनांक 30 अक्टूबर 2011 को सायं 4.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक दिल्ली हाट पीतमपुरा, दिल्ली 34 में भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें श्री नरेन्द्र आर्य सुमन, सुदेश आर्या, ऋचा व प्रिया गुलाटी के भजन होगें। सभी आर्य बन्धु हजारों की संख्या में पहुंचकर गुरुदेव दयानन्द को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करें

भवदीय

डॉ. अनिल आर्य	**महेन्द्रभाई**	**प्रदीप तायल**
अध्यक्ष	महामन्त्री	समारोह अध्यक्ष

आर्य महासम्मेलन की तैयारी के लिए कार्यकर्त्ता बैठक अभूतपूर्व सफलता से सम्पन्न

रविवार, 18 सितम्बर 2011, केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के तत्वाधान में विशाल आर्य कार्यकर्त्ता बैठक का भव्य आयोजन आर्य समाज दिलशाद गार्डन, दिल्ली के सभागार में किया गया जिसमें 135 प्रमुख आर्य अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रथम चित्र में आर्य समाज रोहतास नगर के मंत्री श्री नरेश सैनी को सम्मानित करते डॉ. अनिल आर्य व यशोवीर आर्य, द्वितीय चित्र में आर्यसमाज मयूर विहार-I की मंत्रिणी श्रीमती संगीता गौतम को सम्मानित करते श्रीमती सरोज भाटिया, प्रधान, दिलशाद गार्डन व साथ में श्रीमती चन्द्रप्रभा अरोड़ा। तृतीय चित्र में आर्य समाज, ब्रह्मपुरी के मंत्री श्री अनिल आर्य को सपत्निक सम्मानित करते हुए साथ में श्री कमल गुप्ता।

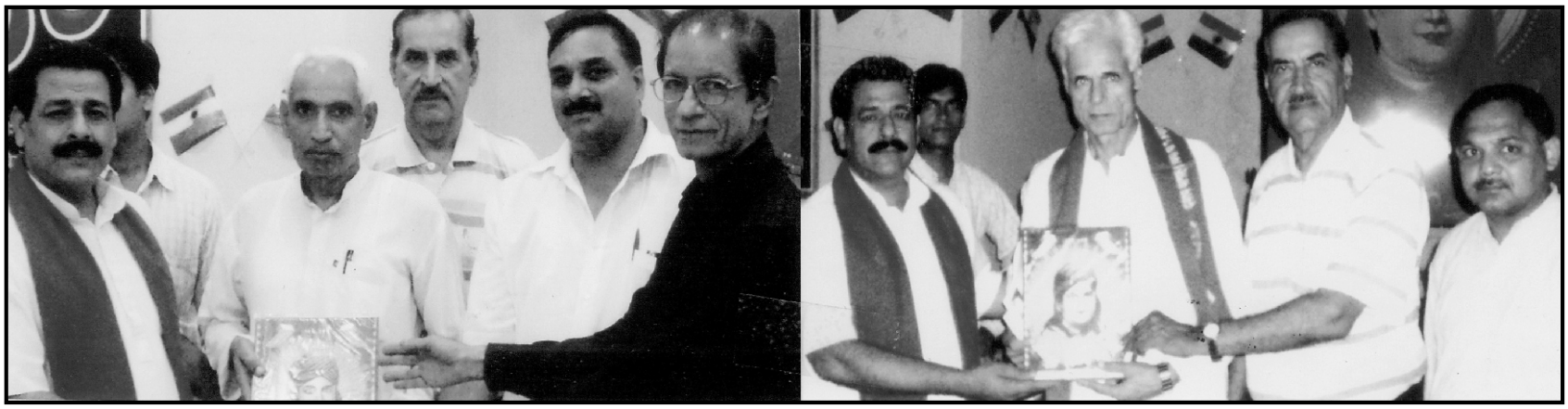

आर्य समाज दुर्गापुरी विस्तार दिल्ली के मंत्री श्री सत्यवीर चौधरी को सम्मानित करते डॉ. अनिल आर्य, यशोवीर आर्य, रामकुमार सिंह व श्री रविश भगत जी।
द्वितीय चित्र में श्री ओमवीर सिंह तोमर (बागपत) का स्वागत करते डॉ. अनिल आर्य, यशोवीर आर्य व संतोष शास्त्री।

रविवार, 25 सितम्बर 2011, आर्य समाज, पंजाबी बाग विस्तार, दिल्ली में सम्बोधित करते डॉ. अनिल आर्य साथ में आचार्य देव शर्मा वेदालंकार,
द्वितीय चित्र में आर्य समाज पश्चिम विहार दिल्ली में सम्बोधित करते डॉ. अनिल आर्य व मंच पर आचार्य ध्रुव कुमार व आचार्य विद्यादेव जी।

दानवीर श्री लक्ष्मी चन्द सचदेवा का निधन

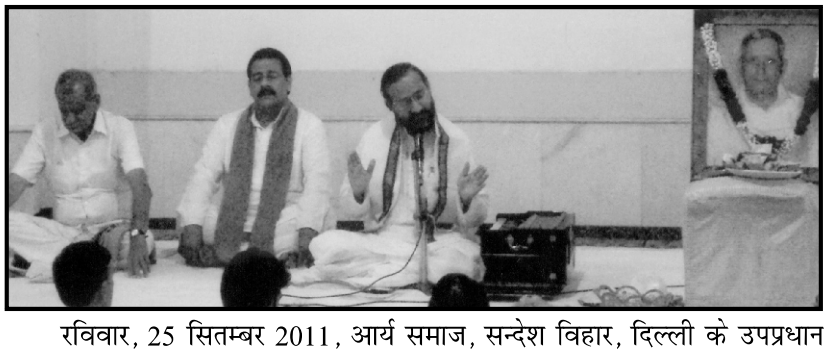

रविवार, 25 सितम्बर 2011, आर्य समाज, सन्देश विहार, दिल्ली के उपप्रधान श्री लक्ष्मी चंद सचदेवा का निधन हो गया। श्रद्धांजलि सभा में सम्बोधित करते आचार्य अखिलेश्वर जी साथ में डॉ. अनिल आर्य व श्री मनोहर लाल चावला। केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् की ओर से विनम्र श्रद्धॉजलि। **-दुर्गेश आर्य, मंत्री**

पद्मभूषण श्री ज्ञान प्रकाश चोपड़ा नहीं रहे

आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा एवं डी.ए.वी. मैनेजिंग कमेटी के प्रधान श्री ज्ञान प्रकाश चोपड़ा का गत 21 सितम्बर 2011 को निधन हो गया। केन्द्रीय आर्ययुवक परिषद् की ओर से विनम्र श्रद्धॉजलि। **-डॉ. अनिल आर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष**

महर्षि दयानन्द बलिदान दिवस पर दान भेंजे

आर्य जनों से अपील है कि केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के कार्य को मजबूत करने के लिए कम से 101/- रुपये का अवश्य दान भेजे।

परम डेयरी के लाला रामगोपाल का निधन

सोमवार, 19 सितम्बर 2011, परम डेयरी ग्रुप के संस्थापक श्री लाला रामगोपाल जी का निधन हो गया। स्नेहा गार्डन बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते वैदिक विद्वान आचार्य वागीश जी। सुपुत्र श्री सुनील, राजीव व संजीव दिखाई दे रहे हैं। डॉ. अनिल आर्य, आनंद प्रकाश आर्य, आचार्य गवेन्द्र शास्त्री, स्वामी धर्मेश्वरानंद जी, आचार्य सतीश सत्यम, डॉ. डी.के. गर्ग, सुरेन्द्र गुप्ता, (गोल्ड सुक) आदि ने भी अपनी श्रद्धाजंलि दी। **-राम कुमार सिंह आर्य**

सम्पादक: **अनिल कुमार आर्य** द्वारा केन्द्रीय आर्य युवक परिषद् के लिए **मयंक प्रिंटर्स**,2199/63, नाईवाला, करोलबाग, दिल्ली-5 दूरभाष : 41548504 मो. : 9810580474 से मुद्रित व परिषद् कार्यालय आर्य समाज टी-176-177, कबीर बस्ती, दिल्ली-7 से प्रकाशित, **प्रबन्धक** : दिनेश आर्य, मोबाइल : 9910649696, देवेन्द्र भगत, मोबाइल : 09312406810